इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022—चैत्र 10, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–1–16–2021–2–पांच–(05).– मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक (17) बी–1–48–2002–वा.कर–पांच, दिनांक 9 मई 2002 अधिसूचना क्रमांक (18) बी–1–1–05–2–पांच, दिनांक 20 अप्रैल 2005 एवं अन्य आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एफ.एल. 10–क लायसेंस के लिए स्पिरिट, बीयर एवं वाईन आयात हेतु समेकित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपए 05.00 लाख एवं केवल वाईन आयात हेतु रुपए 02.00 लाख विहित करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–1–16–2021–2–पांच–(05).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–01–16–2021–2–पांच–(05), दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2022

No. B-1-16-2021-2-V (05).- in exercise of the powers conferred by sub rule (2) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department notification no.(17)-B-1-48-2002-C.T.-V dated 9th May, 2002, notification no. (18)-B-1-1-05-2-V dated 20th April, 2005 and other orders issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the consolidated annual licence fee forF.L.10-A licence as Rs. 05.00 lakh for import of spirit, beer and wine and Rs. 02.00 lakh for import of wine only.

2- This notification shall come into force from 1st April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–1–16–2021–2–पांच–(06).– मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप-नियम (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018-2-पांच (17) दिनांक 31 मार्च, 2018 एवंअधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-16-2021-2-पांच (12) दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विदेशी मदिरा की सभी धारिताओं एवं पैकेजिंग के लिये समेकित रूप सेवार्षिक लेबल पंजीयन फीस निम्नानुसार विहित करती है:-

(1) एफ.एल.9, एफ.एल.9-क, बी-3 एवं बी-3 के एफ.एल.-9क लायसेंसो के अधीन विनिर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन)एवं राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन)प्रदाय किए जाने के लिये प्रति लेबल वार्षिक लेबल पंजीयन फीस-

"सारणी-1

अनुक्रमांक	मद	वार्षिक लेबल पंजीयन फीस
(1)	(2)	(3)
1-	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ.एल.-9 लायसेंस अंतर्गत	रूपए 2,75,000/-
2-	विदेशी मदिरा (स्पिरिट) एफ.एल.-9-क लायसेंस अंतर्गत (प्रत्येक फ्रेन्चाइन्जी/सबलीजी अनुबंध में)	रूपए 5,50,000/-
3-	विदेशी मदिरा (बीयर) बी-3 लायसेंस अन्तर्गत	रूपए 2,20,000/-
4-	विदेशी मदिरा (बीयर) बी-3/9-क लायसेंस अन्तर्गत	रूपए 2,20,000/-
5-	विदेशी मदिरा (वाईन बी-3 लायसेंस के अन्तर्गत) मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में विनिर्मित वाईन हेतु.	रूपए 1100/-
6-	राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (स्पिरिट) प्रदाय किए जाने हेतु	रूपए 1,10,000/-
7-	राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (बीयर) प्रदाय किए जाने हेतु.	रूपए 1,10,000/-
8-	राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (वाईन) प्रदाय किए जाने हेतु.	रूपए 11,000/-
9-	विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन) के अन्य किसी देश को निर्यात किए जाने हेतु प्रति लेबल.	रूपए 55,000/-

(2) एफ.एल.10-क एवं एफ.एल.10-ख लायसेंसों के अधीन वार्षिक लेबल पंजीयन फीस :-

सारणी-2

अनुक्रमांक	मद	वार्षिक लेबल पंजीयन फीस
(1)	(2)	(3)
1-	विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन) एफ.एल.-10-क लायसेंस अंतर्गत एक निर्माता के सभी लेबलो की समेकित पंजीयन फीस	रूपए 10,00,000/-
2-	विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन)एफ.एल.-10-ख लायसेंस अन्तर्गत विभिन्न निर्माताओं के सभी लेबलों के लिये समेकित पंजीयन फीस	रूपए 10,00,000/-
3-	विदेशी मदिरा (वाईन) एफ.एल.-10-क लायसेंस अन्तर्गतएक निर्माता के सभी लेबलो की समेकित पंजीयन फीस	रूपए 1,00,000/- "

3-यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–01–16–2021–2–पांच–(06).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–01–16–2021–पांच–(06), दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2022

No. B-1-16-2021-2-V (06).- In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) and (3) of Rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this Department's Notification No.-F-B-1-01-2018-2-V(17), dated 31st March, 2018 and Notification No. F-B-1-16-2021-2-V(12), dated 07 September, 2021 issued in this behalf, the State Government hereby, prescribes, for all the capacities and packaging of foreign liquor the consolidated annual label registration fee as follows :-

(1) "For Foreign Liquor (Spirit, Beer and Wine) under F.L.-9, F.L.-9-A, B-3 and FL-9-A of B-3 licences and for Outside manufacturer of Foreign Liquor (Spirit, Beer and Wine) for supply of Foreign Liquor to CSD/Paramilitary,the annual label registration fee for each label:-

"Table-1

S. No.	Item	Annual label registration fee
(1)	(2)	(3)
1-	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-9 Licence	Rs. 2,75,000/-
2-	Foreign Liquor (Spirit) Under FL-9-A Licence (Under each franchisee/sub lease agreement)	Rs. 5,50,000/-
3-	Foreign Liquor (Beer) Under B-3 Licence	Rs. 2,20,000/-
4-	Foreign Liquor (Beer) Under B-3/9-A Licence	Rs. 2,20,000/-
5-	Foreign Liquor (Wine Under B-3 Licence) for wine manufactured in Madhya Pradesh from grapes cultivated in Madhya Pradesh.	Rs. 1100/-
6-	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Spirit) to CSD/Paramilitary	Rs. 1,10,000/-
7-	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Beer) to CSD/Paramilitary	Rs. 1,10,000/-
8-	Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Wine) to CSD/Paramilitary.	Rs. 11,000/-
9-	Foreign Liquor (Spirit, Beer & Wine) Exported to any other Country each Lable.	Rs. 55,000/-

(2) Under F.L.10-A and F.L.10-B licences the annual label registration fee :-

Table -2

S. No.	**Item**	**Annual label registration fee**
(1)	(2)	(3)
1-	For Foreign Liquor (Spirit, Beer and wine) Under FL-10-A License, the consolidated label registration fee for all labels of a Manufacturer.	Rs. 10,00,000/-
2-	For Foreign Liquor (Spirit, Beer and Wine) Under FL-10-B License, the consolidated label registration fee for all labels of all the Manufacturers..	Rs. 10,00,000/-
3-	For Foreign Liquor (Wine) Under FL-10-A Licence the consolidated label registration fee for all labels of a Manufacturer.	Rs. 1,00,000/-"

3- This notification shall come into force from 1st April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–1–16–2021–2–पांच–(07).– मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–बी–1–01–2017–2–पांच–(10), दिनांक 27 मार्च 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर एवं अन्य फलों से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन को 31 मार्च, 2026 तक के लिए आबकारी शुल्क से छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–01–16–2021–2–पांच–(07).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–01–16–2021–2–पांच–(07), दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2022

No. B-1-16-2021-2-V (07).- In exercise of the powers conferred bysection 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this Department's Notification No.-F-B-1-01-2021-2-V (10), dated 27th March 2017, the State Government, hereby, exempts the Wine manufactured in Madhya Pradesh using grapes and other fruits cultivated in Madhya Pradesh from excise duty till 31st March, 2026.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–1–16–2021–2–पांच–(08).– मध्यप्रदेश , 1996 के नियम 18 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की इस निमित्त जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2017-2-पांच-(4) दिनांक 27 मार्च, 2017 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अन्य देशों से आयातित मूल में बोतल बंद विदेशी मदिरा पर नीचे यथा विनिर्दिष्ट बोतल फीस विहित करती है, अर्थात् :-

"सारणी

अनुक्रमांक (1)	आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतल बंद) (2)	बोतल फीस की दर (3)
1	स्पिरिट	रूपये 750.00 प्रति 750 मि. ली. की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक"

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–01–16–2021–2–पांच–(08).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–01–16–2021–2–पांच–(08), दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2022

No. B-1-16-2021-2-V (08).- **In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in partial supersession of this department's notification No. F-B-1-01-2017-2-V (4), dated 27th March 2017 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the bottle fee on Bottled in Origin (BIO) foreign liquor imported from other countries as specified below, namely :-**

"TABLE

S.No. (1)	Imported Foreign Liquor (BIO) (2)	Rate of Bottle Fee (3)
1.	Spirit	Rs. 750.00 per quart bottle of 750 M.L. or proportionate"

2. This notification shall come into force from 1st April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–1–16–2021–2–पांच–(09).– मध्यप्रदेश विदेशीमदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप-नियम (22) द्वाराप्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा,इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.बी-1-23-2018-2-पांच (37) दिनांक29 जून 2018 को अतिष्ठित करते हुए, विदेशी मदिरा भांडागार में भंडारित की गयीविदेशी मदिरा स्पिरिट एवं बीयर पर नीचे दी गयी सारणी अनुसार भण्डारण प्रभार विहित करती है -

"क्र.	मदिरा का प्रकार	ई.डी.पी.प्रति पेटी	भण्डारण प्रभार
1	विदेशी मदिरा स्पिरिट	रूपए 1200/- तक	रूपए 10/- प्रति पेटी
		रूपए 1200/- से अधिक	रूपए 20/- प्रति पेटी
2	बीयर	रूपए 500/- तक	रूपए 5/- प्रति पेटी
		रूपए 500/- से अधिक	रूपए 10/- प्रति पेटी"

2- यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–01–16–2021–2–पांच–(09).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–01–16–2021–2–पांच–(09), दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2022

No. B-1-16-2021-2-V (09).- in exercise of the powers conferred by sub rule (22) of rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department notification no. FB-1-23-2018-2-V(37) dated 29 June 2018 the State Government; hereby, prescribes the storage charges on Foreign liquor spirit and beer stored in Foreign liquor warehouse, as mentioned in the table below -

"S.N.	Type of liquor	EDP per case	Storage Charge
1	Foreign liquor spirit	Upto Rs. 1200/-	Rs. 10/- per case
		More than Rs. 1200/-	Rs. 20/- per case
2	Beer	Upto Rs. 500/-	Rs. 5/- per case
		More than Rs. 500/-	Rs. 10/- per case"

2- This notification shall come into force from 1st April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–1–16–2021–2–पांच–(10).– मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-16-2021-2-पांच-(04) दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 अप्रैल 2022 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, आबकारी शुल्क, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं से संबंधित है, सारणी के कॉलम 3 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है, अर्थात् :-

"सारणी

अनु. (1)	आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं का विवरण (2)	आबकारी शुल्क की दर (3)
1.	**देशी मदिरा**	
	(25 डिग्री अन्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन)	रूपये 330/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) जब प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य) हो	आबकारी शुल्क की दर
	(1) रूपये 800/- तक	रूपये 390/- प्रति प्रूफ लीटर
	(2) रूपये 801/- से 1200/- तक	रूपये 525/- प्रति प्रूफ लीटर
	(3) रूपये 1201/- से 1400/- तक	रूपये 720/- प्रति प्रूफ लीटर
	(4) रूपये 1401/- से 1600/- तक	रूपये 810/- प्रति प्रूफ लीटर
	(5) रूपये 1601/- से 3150/- तक	रूपये 1015/- प्रति प्रूफ लीटर
	(6) रूपये 3151/- से 8150/- तक	रूपये 1590/- प्रति प्रूफ लीटर
	(7) 8150/- से अधिक	रूपये 2530/- प्रति प्रूफ लीटर
3.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर	
	(क) बीयर एवं मानक सीलबंद बोतल/ केन में विक्रय की जाने वाली ड्राफ्ट(खुली) बीयर.	प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 130 प्रतिशत
	(ख) अन्य ड्राफ्ट(खुली) बीयर	रूपये 80/- प्रति बल्क लीटर
	(ग) Low Alcoholic Beverages(रेडी टू ड्रिंक) पेय:- 10 प्रतिशत (V/Vतक एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे Low Alcoholic Beverages(रेडी टू ड्रिंक) पेय जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (24 बोतल/कैन (नग) की समेकित धारिता अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) रूपये 700/- से अधिक हो.	रूपये 110/- प्रति बल्क लीटर

4. **मद्य (वाईन)**

(a)	मद्य (वाईन)	रूपये 110/- प्रति बल्क लीटर
(b)	मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित मद्य (वाईन)	शून्य

5. "रक्षा सेवा कार्मिकों" को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी शुल्क, असैनिक (सिविलियन्स)हेतुरम के लिये दी जाने वाली शुल्क के 30 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर)इत्यादि) के लिए दी जाने वाली शुल्क के 45 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी.

स्पष्टीकरण - 1 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित हैं, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर, तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां, जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हो.

स्पष्टीकरण - 2 माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, ऐल, स्टाउट, पोर्टर औरसाईडर आदि.

स्पष्टीकरण - 3 "रक्षा सेवा कार्मिकों से अभिप्रेत है, ऐसा रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और उसमें सम्मिलित है सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं।"

6. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022

क्र. बी–01–16–2021–2–पांच–(10).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी–01–16–2021–2–पांच–(10), दिनांक 31 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st March 2022

No. B-1-16-2021-2-V (10).- In exercise of the powers conferred by section 25 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this Department's earlier Notification No.-F-B-1-16-2021-2V (04), dated 7th September issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the rates of excise duty in so far as it relates to the excisable articles specified in column (2) of the table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof, with effect from 1st April 2022 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely : -

"TABLE

S.No. (1)	Description of Excisable Articles (2)	Rate of excise duty (3)
1.	**Country Spirit**	
	(25 degree under proof Spiced Country Sprit and 50 degree under proof Plain Country Spirit)	Rs. 330/- per proof litre
2.	Foreign Liquor (Spirit) for Civilians When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-Foreign Liquor Warehouse price is,	Rate of excise duty
	(1) Upto Rs. 800/-	Rs. 390/- per proof litre
	(2) Rs. 801/- and upto Rs. 1200/-	Rs.525/- per proof litre
	(3) Rs.1201/- and upto Rs. 1400/-	Rs.720/- per proof litre
	(4) Rs.1401/- and upto Rs. 1600/-	Rs.810/- per proof litre
	(5) Rs.1601/- and upto Rs.3150/-	Rs.1015/- per proof litre
	(6) Rs.3151/- and upto Rs.8150/-	Rs.1590/- per proof litre
	(7) Exceeds Rs. 8150/-	Rs.2530/- per proof litre
3.	Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians	
	(a) Beer and Draught Beer sold in Standard sealed bottles/can.	130 percent of per case Ex-Foreign Liquor Warehouse price.
	(b) Other Draught Beer	Rs. 80/- per bulk litre
	(c) Low Alcoholic Beverages (Ready to drink), Which contains upto 10 percent of alcohol and the price per case (Where the maximum consolidated capacity of 24 bottles/cans is upto 9 bulk litre) is more than Rs. 700/-	Rs. 110/- per bulk litre

4. **Wines**

(a) Wines	Rs. 110/- per bulk litre
(b) Wine made from grapes produced in State of Madhya Pradesh and Manufactured in State of Madhya Pradesh	Zero

5. The excise duty on the Indian made foreign liquor issued to the defence services personnel shall be charged for Rum at the rate of 30 percent and for other

indianmade foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) etc.] at the rate of 45 percent of the duty payable for the civilians.

Explanation– 1 Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient.

Explanation– 2 Malt liquor includes Beer, Ale, Stout, Porter and Cider etc.

Explanation– 3 "Defenceservicespersonnel" shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organization and includes the personnel of the Border Security Force, Indo-Tibetian Border Police and Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorized whole sale military canteens."

6. This notification shall come into force from 1st April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2022.